

Uttar Pradesh Shasan
Grih (Police) Anubhag-6

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 01/2020/1478p/VI-Pu-6-19-300(80)/2019 Dated 06 January, 2020.

Notification

No. 01/2020 /1478 p/VI-Pu-6-19-300(80)/ 2019

Lucknow: Dated 06 January, 2020

In pursuance of the provisions of clause(s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to declare that with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the office of the Special Investigation Team (SIT) (1984-Riots), Kanpur Nagar constituted vide Government Order no. 133k/6-SA.NI.PRA.-19-12(4)/2017 dated February 05, 2019 shall be the Police Station having jurisdiction over the whole of Uttar Pradesh.

By order
Awanish Kumar Awasthi
Apar Mukhya Sachiv.

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक
मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०
ऐशबाग, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक 06 जनवरी, 2020

विषय: वर्ष 1984 में जनपद- कानपुर में हुए सिख विरोधी दंगों के परिप्रेक्ष्य में पंजीकृत अभियोगों की विवेचना किये जाने हेतु कार्यालय-ज्ञाप दि० 05-02-2019 द्वारा गठित विशेष अनुसंधान दल (एस०आई०टी०) को पुलिस थाना अधिसूचित किए जाने के संबंध में निर्गत अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि वर्ष 1984 में जनपद- कानपुर में हुए सिख विरोधी दंगों के परिप्रेक्ष्य में पंजीकृत अभियोगों की विवेचना किये जाने हेतु कार्यालय-ज्ञाप दि० 05-02-2019 द्वारा गठित विशेष अनुसंधान दल (एस०आई०टी०) को पुलिस थाना अधिसूचित किए जाने के संबंध में शासन की अधिसूचना संख्या-01/2020/1478 पी/छः-पु-6-2019-300(80)/2019 दिनांक 06 जनवरी, 2020 निर्गत की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में उक्त निर्गत अधिसूचना की हिन्दी-अंग्रेजी की एक-एक प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 06-01-2020 के असाधारण सरकारी गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित कराते हुए निम्नलिखित को सम्मुख अंकित प्रतियां शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	प्रतियां
1.	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	10 प्रतियां
2.	अपर पुलिस महानिदेशक, कानून- व्यवस्था/एस०आई०टी०/स्थापना/प्रशासन उ०प्र०, लखनऊ	प्रत्येक को 05-05 प्रतियां
3.	अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।	10 प्रतियां
4.	जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर।	10 प्रतियां
5.	गृह पुलिस अनुभाग-6, उ०प्र०शासन।	100 प्रतियां

3- उक्त गजट के मुद्रण पर होने वाले व्यय को उ०प्र०पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज द्वारा बहन किया जायेगा। अतः मुद्रण व्यय से संबंधित बिल, भुगतान हेतु मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा उ०प्र०पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज को भेजा जायेगा।
संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय
महेन्द्र सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 02/2020/06(1) पी/छ:-पु-6-2020-300(80)/2019 , तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त निर्गत अधिसूचना संख्या-01/2020/ 1478पी/छ:-पु-6-2019-300(80)/2019 दिनांक 06 जनवरी, 2020 की हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित- (यह अधिसूचना गृह विभाग की वेबसाइट <http://uphome.gov.in> पर अवलोकनीय भी है)

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महानिबंधक, मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3. स्पीड पोस्ट -श्री अतुल (सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक)/ अध्यक्ष- Special Investigation Team (SIT) (1984-Riots), Kanpur Nagar को उनके अर्द्धशा0प0 सं0-पर्स-2019 दिनांक 27-05-2019 के क्रम में।
4. स्पीड पोस्ट -श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल, सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश, निवासी-109, आनन्द ऐश्वर्या अपार्टमेंट, 14/87 सिविल लाइन, कानपुर नगर।
5. प्रतिकर अधिकारी/ मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
6. अपर पुलिस महानिदेशक/वित्त नियंत्रक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
7. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ (मुख्यालय)
8. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, (जोन) / पुलिस महानिरीक्षक (रेंज) उत्तर प्रदेश।
10. अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर।
11. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक- कानपुर नगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना संख्या-01/2020/1478 पी/छ:-पु-6-2019-300(80)/2019 दिनांक 06 जनवरी, 2020 की हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति अध्यक्ष- Special Investigation Team (SIT) (1984-Riots) कानपुर नगर एवं अन्य संबंधित सदस्यों को अपने स्तर से भी उपलब्ध कराया जाना कृपया सुनिश्चित करें।
12. स्पीड पोस्ट -श्री योगेश्वर कृष्ण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अपर निदेशक, अभियोजन, 187 एम0आई0जी0, डब्लू ब्लाक, केशवनगर, कानपुर।
13. पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेंज, कानपुर।
14. न्याय अनुभाग-6/ विधायी अनुभाग /भाषा अनुभाग-5 / गृह पुलिस अनुभाग-7/ 9, उ0प्र0शासन।
15. ओ0एस0डी0- साम्प्रदायिक नियंत्रण प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन।
16. मीडिया सेल, गृह विभाग।
17. अनुभाग अधिकारी, गृह नियंत्रण कक्ष, उ0प्र0शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना संख्या- 01/2020/1478पी/छ:-पु-6-2019-300(80)/2019 दिनांक 06 जनवरी, 2020 की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियां विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा सर्वसंबंधित को फैक्स/ ई-मेल कराने का कष्ट करें।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
महेन्द्र सिंह
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।